भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2569

जिसका उत्तर 04 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

कोयले की चोरी

2569. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में कोयला की सेंधमारी और चोरी की घटनाओं में भारी वृद्धि पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) परिवहन के दौरान कोयले की चोरी को नियंत्रित करने में सरकार के समक्ष आने वाली समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले की सेंधमारी और चोरी के कारण राजकोष की हानि/नुकसान की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों को कोयले की सेंधमारी/चोरी रोकने के लिए राज्य/स्थानीय प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय से काम करने की सलाह दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी क्या उपलब्धि है;

(च) क्या भारत सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की निगरानी और सूचना के लिए ''खनन प्रहरी'' नामक मोबाइल एप और वेब एप 'कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएसएमएस)' शुरू किया है जो इस हेतु कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारी को समय पर उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है; और

(छ) यदि हां, तो सूचित किए गए मामलों की संख्या कितनी है और चोरी और सेंधमारी में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ की–गई–कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार कोयले की चोरी/उठाईगिरी चोरीछिपे एवं गुप-चुप तरीके से की जाती है। अत: चोरी किए गए कोयले की सही मात्रा एवं चोरी/उठाईगिरी के कारण हुई क्षति का आकलन तथा उसका निर्धारण करना कठिन है। तथापि,

वर्ष 2018-19 के दौरान सुरक्षा कार्मिकों एवं संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था से संबंधित प्राधिकारियों के साथ संयुक्त छापे के दौरान बरामद कोयले की मात्रा एवं इसकी अनुमानित कीमत (कंपनीवार एवं राज्यवार) नीचे दी गई है:-

(अनंतिम)

कंपनी	राज्य	बरामद की गई मात्रा (टन)	अनुमानित मूल्य (लाख रूपये)
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	11063.39	562.817
	झारखण्ड	4885.23	248.817
	कुल ईसीएल	15948.62	811.634
बीसीसीएल	झारखण्ड	5030.29	214.840
	पश्चिम बंगाल	682.05	24.992
	कुल बीसीसीएल	5712.34	239.833
सीसीएल	झारखण्ड	595.51	12.753
एनसीएल	मध्यप्रदेश/उत्तरप्रदेश	0.00	0.000
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	261.05	7.595
	मध्यप्रदेश	0.00	0.000
	कुल डब्ल्यूसीएल	261.05	7.595
एसईसीएल	मध्यप्रदेश	0.50	0.015
	छत्तीसगढ़	9.30	0.380
	कुल एसईसीएल	9.80	0.395
एमसीएल	ओड़ीशा	257.22	4.572
एनईसी	असम	0.00	0.000
कुल कोल इंडिया		**22784.54**	**1076.782**

(ड.): कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अत: कोयला चोरी/उठाईगिरी रोकने/कम करने हेतु आवश्यक कठोर कार्रवाई करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य/जिला प्रशासन का है। कोयला कंपनियां कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने हेतु राज्य/स्थानीय प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य कर रहीं हैं। कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें प्रमुख हैं:-

I. आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर्स और तुलनसेतु पर सीसीटीवी कैमरे, जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ जीओफेन्सिंग, सभी खानों के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए है।

II. कोलियरीज प्रबंधन तथा सीआईएसएफ द्वारा स्थानीय पुलिस थानों में नियमित एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। अपराधियों की गतिविधियों पर सीआईएसएफ द्वारा पैनी निगाह रखी जाती है।

III. जिला अधिकारियों के साथ नियमित अंतराल पर बात-चीत एवं संपर्क स्थापित किया जाता है तथा राज्य प्रशासन के अधिकारियों साथ बैठकें आयोजित की जाती है।

IV. चोरी रोकने के लिए होलोग्राम तथा सीआईएसएफ के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के बाद जिले से बाहर ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए चालान जारी किए जा रहे हैं।

V. रेलवे साइडिंग पर हथियारबंद गार्डों की तैनाती की गई है।

VI. चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों में आरपीएफ के साथ समन्वय करके धर्मकांटों तक कोयले के रैकों की स्कोर्टिंग की व्यवस्था की जाती है।

VII. तुलन सेतुओं पर कोयले से भरे ट्रकों का औचक पुन: भार लिया जाता है।

VIII. सीआईएसएफ/सुरक्षा विभाग के उड़न दस्ते द्वारा औचक जांच/ छापे मारे जाते है।

IX. ओबी डंपों सहित खान के आसपास नियमित गश्त लगाई जाती है।

X. उठाईगिरी संभावित क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से गश्त भी लगाई जा रही है।

XI. प्रवेश/निकास बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं जहां कोयला से लदे सभी वाहनों की वास्तविक रूप से जांच की जाती है।

XII. कोयला डम्पों की सुरक्षा में चारों तरफ बाड़ लगाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने तथा चौबीसों घण्टे सुरक्षा के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है।

(च) तथा (छ): अनधिकृत कोयला खनन कार्यकलापों का पता लगाने तथा आवश्यक कार्रवाई करने और समय पर कानून और व्यवस्था से संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय ने जुलाई, 2018 में एक मोबाइल एप- खनन प्रहरी तथा वेब एप कोल माइन सर्विलांस एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएसएमएस) शुरू की है। 31 अक्तूबर, 2019 तक कुल 205 शिकायतें दर्ज की गई हैं। नोडल अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात् सही पाए जाने पर शिकायतों पर कार्रवाई संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सहयोग से की जाती है।

*****